2681
27/6/13
2959
3/7/13

अनुसूची– 14 फ़ारम संख्या– 562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर, दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 कर नियम 129)

आदेश पत्रक अंतर्गत न्यायालय भूमि सुधार उप समा०, सदर, दरभंगा।

भूमि विवाद वाद संख्या 89 सन् 2013-14

श्री अमरनाथ मिश्र बनाम श्री गेना सहनी।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
22.06.13	**आदेश** सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद श्री अमरनाथ मिश्रा पिता- स्व०- वेदानंद मिश्रा सा०- खराजपुर थाना वो अंचल- बहादुरपुर, जिला- दरभंगा द्वारा दायर किया गया है। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत विवाद मौजा- खराजपुर, अंचल- बहादुरपुर अंतर्गत- खाता नं०- 586 (पु०) खेसरा 1249 एवं 1250 (पु०) रकवा- 12 धुर जमीन से संबंधित है। इनके अनुसार बाबू बैजुलाल मिश्र प्रश्नगत जमीन के मालिक थे तथा खेसरा- 1249 एवं 1250 का रकवा बहुत बड़ा है। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बाबू बैजुलाल मिश्रा का वंशावली देकर बताया गया कि बैजुलाल मिश्रा को 06 लड़के थे जिसमें से सिवेश्वर मिश्र अविवाहित थे तथा भुवनेश्वर मिश्र, नागेश्वर मिश्र एवं जयकांत मिश्र को कोई संतान नहीं हुआ। इनके अनुसार वादी के पिता वेदानंद को तीन लड़के- दुर्गा नारायण मिश्र, अमरनाथ मिश्र एवं रुद्रनारायण मिश्र हुए तथा श्री कांत मिश्रा को भी तीन लड़के हुए। इनके द्वारा बताया गया कि वादी द्वारा	

क्रमशः

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

बाबु बैजुलाल मिश्रा के जमीन के बँटवारा के लिए विद्वान अपर अवर न्यायाधीश तृतीय, दरभंगा के न्यायालय में बँटवारा वाद सं० 247/37 - 1952/1955 दायर किया गया, जिसका निपटारा वादी एवं उनके फरीकैनों के बीच सुलहनामा के आधार पर हुआ। इनके अनुसार प्रश्नगत खेसरा भी उक्त बँटवारा वाद में शामिल था। इनके अनुसार बँटवारा वाद में वादी को प्रश्नगत खेसरा की जमीन में अलग-अलग जगह पर हिस्सा प्राप्त हुआ तथा वादी को कुल 02 कट्ठा 12 धुर जमीन पश्चिम एवं उत्तर भाग में मिला। इनके अनुसार उक्त बँटवारा वाद में वादी के पिता को भी हिस्सा मिला तथा वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी एवं उनके फरीकैनों द्वारा अपने पिता के हिस्सा में से 1/3 की दर से बँटवारा कर लिया गया। इनके अनुसार वादी द्वारा विपक्षी के पिता सरयुग साहनी को प्रश्नगत जमीन से 02 कट्ठा रकबा दिनांक 25.11.1976 को केवाला द्वारा बेचा गया है तथा उक्त जमीन पर सरयुग साहनी को दखल-कब्जा दे दिया गया। इनके अनुसार प्रश्नगत खेसरा में से 02 कट्ठा जमीन बेचने के बाद वादी के पास रकबा 12 धुर जमीन अवशेष बच गया जो इस विवाद का विषय वस्तु है। इनके अनुसार प्रश्नगत 12 धुर जमीन पर वादी का स्वत्व, अधिकार एवं दखल-कब्जा है। इनके द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा वादी को प्रश्नगत जमीन से बेदखल करने का प्रयास किया जा

क्रमशः

अनुसूची– 14 फारम संख्या– 562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर, दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 कर नियम 129)

आदेश पत्रक ....

भूमि विवाद .... वाद संख्या .... 07 सन् 2013-14

.... बनाम ....

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	रहा है। इनके अनुसार वादी के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रश्नगत जमीन का सीमांकन किया जाना आवश्यक है। इनका अनुरोध है कि प्रश्नगत जमीन पर वादी का स्वत्व, अधिकार एवं दखल-कब्जा घोषित किया जाय तथा प्रश्नगत जमीन का सीमांकन करा दिया जाय। साथ ही, प्रश्नगत जमीन के उपयोग में वादी को अवरोध उत्पन्न करने से विपक्षी को प्रतिबंधित किया जाय एवं बेदखली की स्थिति में उक्त जमीन पर वादी को दखल-कब्जा दिलाया जाय। सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। इनके अनुसार प्रस्तुत विवाद में स्वत्व निर्धारण का गंभीर विषय अंतर-निहित है, जिसका समाधान सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। इनके अनुसार वादी द्वारा विवादी जमीन की स्पष्ट विवरणी नहीं दी गई है तथा प्रश्नगत जमीन का स्थल पर कोई अलग अस्तित्व नहीं है। इनके अनुसार वादी द्वारा मांगा गया अनुतोष सक्षम सिविल न्यायालय से संबंधित है। इनके अनुसार वादी एवं उनके अन्य	

क्रमशः

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	अन्य फरीकैनों के बीच प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन का बँटवारा हुआ था, जिसमें वादी के पिता को भी हिस्सा मिला था, लेकिन वादी का यह कहना गलत है कि वादी के पिता की मृत्यु के उपरांत वादी के पिता को प्राप्त हिस्सा में से 1/3 भाग वादी को प्राप्त है। इनके अनुसार वादी को बहन भी थी तथा बहन का हिस्सा स्पष्ट नहीं किया गया है। इनके अनुसार वादी द्वारा दिनांक 25.11.1976 के केवाला से प्रश्नगत खेसरा से 02 कट्ठा जमीन विपक्षी के पिता सरजुग साहनी को बेचा गया तथा उसपर दखल-कब्जा दे दिया गया। इनके अनुसार वादी के भाई इन्द्र नारायण मिश्रा एवं सूर्यनारायण मिश्रा द्वारा भी खेसरा-1249 से 04 कट्ठा जमीन दिनांक 09.12.1977 एवं 05.08.1976 के केवाला से विपक्षी के पिता को बेचा गया है। इनके अनुसार बँटवारा वाद सं०- 244/1952/37/1955 से वादी को प्रश्नगत खेसरा 1249 में 01 कट्ठा 15 धुर तथा खेसरा- 1250 में 18¼ धुर हिस्सा प्राप्त हुआ तथा वादी द्वारा सरजुग साहनी के नाम से खेसरा- 1249 से 01 कट्ठा 15 धुर तथा 1250 से 05 धुर जमीन बेचा गया जिसका हाल सर्वे खेसरा- 1450 एवं 1451 है तथा केवाला की चौहद्दी के अनुसार प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का दखल-कब्जा है। इनके अनुसार प्रश्नगत जमीन पर स्वयं वादी द्वारा ही विपक्षी के पिता को दखल-कब्जा दिया गया है तथा वादी की अवशेष जमीन उक्त जोत स्थित है, इस कारण वादी को विपक्षी	

क्रमशः